U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk- lfer 'kek] vkbZ-,-,l

विभागीय अपील संख्या 06/2019

vihykUV	बनाम	**jLikasMUVl**
गोपाल सिंह सोढा, तत0 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हाल– सेवानिवृत।		जिला कलेक्टर बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरुद्व आदेश क्रमांक प. 1(601) कार्मिक/2018/ 12592 दिनांक 19.11.2018 जो जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितीः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, शिक्षा विभाग, बाडमेर अनुपस्थित।

fu.kZ;

fnukad% vDVwcj] 2020

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2018 के विरूद्ध दिनांक 11.12.2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय से अपील पर टिप्पणी व मूल रेकर्ड तलब किया गया एवं अपीलान्ट व विभागीय पैरोकार को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार उपस्थित हुए।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा मेरे विरुद्व राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक

कार्यवाही के प्रकरण मे एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश क्रमांक–प.1(601)(1) कार्मिक/2018/12592 दिनांक 19.11.2018 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपीलान्ट की अपील निम्न आधार पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

3. अपीलान्ट ने यह कथन किया कि प्रथमतः तो यह है कि उक्त लघु दण्डादेश सीसीए–17 के तहत अपीलान्ट की एक आगामी वार्षिक वेतन वृद्वि (असंचयी प्रभाव से) रोके जाने का पारित किया गया है परन्तु मेरी सेवानिवृति दिनांक 31.08.2018 होने से उक्त दण्डादेश से रोकी गई एक वार्षिक वेतन वृद्वि (असंचयी प्रभाव से) मेरे सेवानिवृति दिनांक 31.08.2019 को ही हो जाने से मुझे भविष्य मे कभी पुनः प्राप्त नही होगी। ऐसी स्थिति मे जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित उक्त लघु दण्डादेश का प्रभाव मेरे पूर्ण सेवाकाल पर वृहद् दण्ड के रुप मे होगा जो मेरे जीवन के लिये अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी। जिससे मुझे बहुत ही बडा आर्थिक नुकसान भी उठाना पडेगा।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर ने अपने कार्यालय के ज्ञापन संख्या–4333 दिनांक 03.07.2018 से अपीलान्ट के विरूद्ध एक आरोप पत्र जारी कियाः––

> यह है कि उक्त श्री गोपाल सिंह सोढा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बाडमेर के पद पर दिनांक 10.11.2017 से कार्यरत है जोकि फ्लेगशीप योजना अन्नपूर्णा दूध योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी है। उक्त श्री सोढा द्वारा 09 पंचायत समितियों के विघालयों में योजनान्तर्गत दूध व बर्तनों के लिये राशि हस्तान्तरित नहीं की तथा इस योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से जिला कलेक्टर बाडमेर को अवगत नहीं कराया। इस प्रकार उक्त श्री सोढा द्वारा कर्तव्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गई है जिसके लिये उक्त श्री सोढा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी है। इस आरोप से सम्बन्धित विस्तृत विवरण आरोप संख्या एक से सम्बन्धित अभिकथन में अंकित है।

5. उक्त आरोप पत्र का अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 18.07.2018 को ही आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर अवगत कराया गया कि फ्लेगशीप योजना अन्नपूर्णा दूध योजना के अन्तर्गत दूध एवं बर्तनो हेतु राशि जिले के सभी 17 पंचायत समितियों के विधालय मे यथा समय हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा उक्त हस्तान्तरित राशि से समस्त विधालयो मे बर्तन इत्यादि क्रय कर लिये गये थे तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त अन्नपूर्णा दुध योजना का शुभारंभ निर्धारित तिथी 02 जुलाई 2018 को ही कर जिले के समस्त विधालयो मे कक्षा 1 से 8 तक के बालक–बालिकाओ को दूध वितरण कर लाभान्वित किया जाकर योजना की पूर्णतया क्रियान्विति सुनिश्चित कर ली गई है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि योजना के क्रियान्वयन के संबंध मे की गई कार्यवाही से अवगत नही कराने के संबंध मे दिनांक 30.04.2018 से 13.05.2018 एवं दिनांक 21.05.2018 से दिनांक 31.05.2018 तथा दिनांक 20.06.2018 से 25.06.2018 तक की अवधि मे अपीलान्ट का राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिक्षक स्थानान्तरण केम्प मे होने के कारण इस बाबत उनको अवगत कराया गया तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरुप दिनांक 02.07.2018 को ही उक्त योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम सफलता पूर्वक करवाया एवं उनके निर्देशानुसार 09 पंचायत समितियो की भी दूध व बर्तन क्रय करने की राशि संबधित विधालयो के खातो मे जमा करवा दी गई एवं उल्लेखित प्रकरण में किसी प्रकार की जानबूझकर लापरवाही नही बरतने का निवेदन किया गया।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि आरोप पत्र में उल्लेखित तथ्यो के संबंध मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाडमेर द्वारा दिनांक 11.09.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 11.09.2018 को उनके समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की पूर्ण वस्तुस्थिति मय ठोस साक्ष्य/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करते हुए उल्लेखित प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार की लापरवाही नही बरतना बताया। उसके उपरान्त भी श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को आरोप अनुसार लापरवाही का दोषी मानते हुए उक्त दण्डादेश पारित कर दिया गया था जो कि न्यायोचित नही था।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त दिये गये आरोप पत्र मे जिले की 17 पंचायत समितियों में से केवल 09 पंचायत समितियो मे उक्त योजना के अन्तर्गत दूध एवं बर्तनो क्रय करने की राशि संबंधित विधालयो के खातो मे योजना के प्रारंभ होने की तिथी से पूर्व जमा नही करवाने तथा योजना के क्रियान्वयन के संबंध मे श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर को अवगत नही कराने बाबत लापरवाही बरती जाना अंकित किया गया है जिसके संबंध मे उनके द्वारा उक्त 09 पंचायत समितियो के विधालयो में भी दूध व बर्तन क्रय करने की राशि संबधित विधालयो के खातो मे जमा करवाई जाकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरुप निर्धारित तिथी 02.07.2018 को सम्पूर्ण जिले मे अन्नपूर्णा दूध योजना प्रारंभ की जाकर योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित कर ली गई थी तथा अपीलान्ट के दिनांक 20.06.2018 से 25.06.2018 तक शिक्षक स्थानान्तरण केम्प में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा संकुल, जयपुर में होने के कारण अपीलान्ट की ओर से श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर उल्लेखित राशि जमा होने एवं उक्त योजना के क्रियान्वन के संबंध में जानकारी दी जाना संभव नहीं हो सका।

9. इसके अलावा उक्त जारी आरोप पत्र में अपीलान्ट के विरुद्व ऐसा कोई तथ्य/आरोप नही लगाया गया है जिससे उक्त योजना के क्रियान्वयन में अपीलान्ट के कारण किसी प्रकार से बाधा पहूची हो या किसी प्रकार का कोई राजकोष को नुकसान हुआ हो। अपीलान्ट के उक्त समय में शिक्षक स्थानान्तरण शिविर में मुख्यालय जयपुर में उपस्थित होने के कारण ही ऐसी परिस्थितियो में योजना के क्रियान्वयन से अवगत करवाया जाना संभव नही हो सका। जिसकी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आरोप पत्र के प्रत्युतर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर को दी जाने के उपरान्त भी दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किये जाने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त (NATURE OF JUSTICE) के अनुरुप अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही प्रकरण में किसी प्रकार की प्राथमिक जांच की गई और न ही नियम सीसीए–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के

प्रकरण में किसी प्रकार की प्राथमिक जांच पूर्ण की गई जो पूर्णतया राजस्थान सिविल सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम–1958 के प्रावधानो के विपरीत होने से जारी दण्डादेश दिनांक 19.11.2018 अपास्त योग्य है।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मेरी सेवानिवृति दिनांक 31.08.2019 को हो गई है और इस दण्डादेश का प्रभाव मेरी दिनांक 01.07.2019 को लगने वाली वेतन वृद्वि पर पडा है। उक्त दण्डादेश की क्रियान्विति पर मेरी दिनांक 01.07.2019 को लगने वाली वेतन वृद्वि रोक दी गई है, उसके पश्चात दिनांक 31.08.2019 को मेरी सेवानिवृति हो जाने से उक्त वेतनवृद्वि मुझे भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगी जिसका पूर्णतया प्रभाव मेरी सेवानिवृति के उपरान्त प्राप्त होने वाले सभी परिलाभों यथा– पेंशन, ग्रेच्युटी, उपदान इत्यादि पर पडा है जिससे मुझे आगे भी आजीवन भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। ऐसी स्थिति में उक्त लघु दण्ड का प्रभाव मेरे लिए वृहद् दण्ड के रुप में हुआ है जिसका कभी पुर्नभरण नहीं हो सकेगा।

12. अपीलान्ट ने अन्त में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की अपील में उपर वर्णित परिस्थितियों एवं मेरी सेवानिवृति एवं इस लघुदण्ड का प्रभाव मेरे लिए वृहद् दण्ड के रुप में प्रभावी रहने की विशेष परिस्थितियो को मध्यनजर रखते हुए मेरी अपील स्वीकार करते हुए श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 19.11.2018 को (निरस्त) फरमाने की कृपा करावे।

13. जिला कलेक्टर बाडमेर की ओर से प्रेषित टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि आरोपी अधिकारी श्री गोपालसिंह सोढा, द्वारा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारम्भ करने में कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने पर सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की गई तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया।

14. अपीलाण्ट की अपील में जो तथ्य दर्शाये गये है वे आधारहीन है क्योंकि राज्य सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना अन्नपूर्णा दूध योजना के अपीलान्ट जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होने तथा इन्हे दिनांक 12.06.2018 की आयोजित बैठक में दूध व बर्तनो की राशि तत्काल संबधित स्कूल प्रबन्धन समिति में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 25.06.2018 तक अन्नपूर्णा दूध योजना

के अन्तर्गत दूध व बर्तन की राशि 09 पंचायत समितियों मे हस्तान्तरित नहीं की गई। जिसके कारण उनके द्वारा फ्लेगशिप योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही व उदासीनता बरती गई थी। अपीलान्ट के विरुद्व आरोप सिद्व पाये जाने के फलस्वरुप दिनांक 19.11.2018 द्वारा एक वार्षिक वेतनवद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

15. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील, अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों, जिला कलेक्टर बाडमेर की ओर से अपील पर प्रेषित टिप्पणी/मूल पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में जो दर्शाये है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट ने राज्य सरकार की उक्त फ्लेगशिप योजना अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होने के नाते इससे सम्बन्धित दिनांक 12.06.2018 की आयोजित बैठक में इन्हें दूध व बर्तनो की राशि तत्काल संबधित स्कूल प्रबन्धन समिति में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 25.06.2018 तक अन्नपूर्णा दूध योजना के अन्तर्गत दूध व बर्तन की राशि 09 पंचायत समितियों मे हस्तान्तरित नहीं की गई। अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि वे उक्त अवधि में राज्य स्तरीय शिक्षक स्थानान्तरण शिविर जयपुर में भाग लेने गये हुए थे तथा दिनांक 25.6.2018 तक हस्तान्तरित की गई राशि सम्बन्धी सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दे सकें। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने अपनी अपील के संलग्न भी ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रकट हो जाता हो कि उनके द्वारा तत्समय ही ऐसी कार्यवाही सम्पादित कर दी गई हो और सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय को दे दी गई हो। अपीलान्ट के द्वारा जिले की 09 पंचायत समितियों को निर्धारित समय में उनके हिस्से की राशि को किस कारण से उन्हें हस्तान्तरित नहीं की जा सकी थी, इसका भी कोई कारण का अपील में उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त हम यह समझते है कि विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो दण्डादेश पारित किया है, वो उचित है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMoh tuy dfe'uj
tks/kiqj